न्यायालयः प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०) (समक्षः – सतीश कुमार गुप्ता)

वैवाहिक प्र0क0 100038 / 16 प्रस्तुति दिनांक 20-06-2016

ALIMATA PA

शिव सिंह पुत्र मोतीराम जाटव आयु 42 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 3 गोहद, हाल निवासी आलमपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

आवेदक / याचिकाकर्ता

|| <u>बनाम</u> ||

श्रीमती अनीता पत्नी शिव सिंह जाटव आयु 32 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 3 गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

अनावेदिका / प्रतियाचिकाक र्ता

आवेदक द्वारा – श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता अनावेदिका द्वारा – श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 24.02.2018 को घोषित)

- 01. आवेदक शिव सिंह की ओर से यह याचिका हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत अनावेदिका के साथ हुए विवाह दिनांकित 18.11.2009 को विच्छेदित किये जाने के संबंध में प्रस्तुत की गई है।
- 02. प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य यह स्वीकृत / निर्विवादित है कि आवेदक शिव सिंह का अनावेदिका श्रीमती अनीता के साथ समाज में प्रचलित प्रथा के अनुसार विवाह दिनांक 18.11. 09 को गोहद में सपन्न हुआ था एवं उनके मध्य संसर्ग से दो पुत्र सत्यम उम्र 6 वर्ष व शिवम उम्र 4 वर्ष के उत्पन्न हुये हैं तथा आवेदक स्वास्थ्य केंद्र गोहद में एम.पी.डब्लू. के पद पर पदस्थ होकर वार्ड नंबर 3 गोहद में अनावेदिका के साथ निवासरत रहा है और याचिका प्रस्तुति से एक वर्ष पूर्व उसका स्थानांतरण गोहद से आलमपुर हो गया है व अनावेदिका आंगनबाडी कार्यकर्ता के

रूप में गोहद में पदस्थ है।

- 03. आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक एवं अनावेदिका का समाज द्वारा प्रचलित प्रथा विदा (धरीचा) के अनुसार विवाह दिनांक 18.11.2009 को गोहद में सपन्न हुआ था। आवेदक स्वास्थ्य केंद्र गोहद में एम0पी0डब्लू0 के पद पर पदस्थ रहा है और एक वर्ष पूर्व उसका स्थानांतरण गोहद से आलमपुर हो गया है व अनावेदिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गोहद में पदस्थ है। आवेदक गोहद में रहकर अनावेदिका की हर समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा, लेकिन अनावेदिका एवं उसके भाईयों द्वारा आवेदक की गुण्डों द्वारा मारपीट की जाती रही है और अनावेदिका द्वारा आवेदक पर झूंठे अपराध पंजीबद्ध करा दिये गये हैं। अनावेदिका दिनांक 16.01.2014 से आवेदक से पृथक रहकर अपना जीवन यापन कर रही है। अनावेदिका झगड़ालू व कूर किस्म की महिला है और अनावेदक व उसके माता—पिता के साथ झगड़ा फसाद करती रहती है। अनावेदिका का अपनी छोटी बहन के पित भीम सिंह के साथ अवैध संबंध हैं, इसलिये जान बूझकर अनावेदिका, आवेदक को अपने साथ रखने से इंकार कर रही है व दाम्पत्य सुखों से वंचित किये हुये हैं। आवेदक दिनांक 29.10.15 को अनावेदिका को लेने गया तो उसने कूरता का व्यवहार कर आने से इंकार कर दिया। अतः आवेदक एवं अनावेदिका के मध्य दिनांक 18.11.2009 को हुये विवाह को विच्छेदित किये जाने की सहायता चाही गई है।
- 04. अनावेदिका ने आवेदक की ओर से प्रस्तुत उक्त याचिका के खण्डन में स्वीकृत / निर्विवादित तथ्यों को छोड़कर शेष समस्त अभिवचन को अस्वीकृत करते हुये प्रतिस्क्षा में अभिवचन किये हैं कि अनावेदिका एक सीधी सादी महिला है और उसने कभी भी आवेदक एवं उसके परिवारजन से अभद्र व्यवहार नहीं किया है और न ही अनावेदिका व उसके भाईयों ने गुंडों द्वारा आवेदक की कभी कोई मारपीट कराई है एवं उसने आवेदक से पृथक कभी कोई जीवन यापन नहीं किया है, बल्कि आवेदक ने ही प्रथम विवाह के बच्चों से अधिक स्नेह होने के कारण वर्ष 2012 में अपना अटेचमेंट कराते हुये अपना स्थानांतरण आलमपुर के लिये करा लिया है, जबिक अनावेदिका गोहद में ही निवास कर रही है और वह सदैव आवेदक के साथ रहने को तत्पर है, लेकिन आवेदक उसे साथ रखने को तत्पर नहीं है और आवेदक, अनावेदिका को कभी लेने नहीं आया है तथा अनावेदिका के छोटी बहन के पित भीम सिंह से किसी भी प्रकार के कोई

अवैध संबंध नहीं है। अतः प्रस्तुत याचिका निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

05. प्रकरण में उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजों के आधार पर विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नानुसार निर्मित वादप्रश्नों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निकाले गये सकारण निष्कर्ष निम्नवत हैं:—

Ф0	वाद प्रश्न 🐍 🔨	निष्कर्ष
01	क्या आवेदक के साथ अनावेदिका द्वारा कूरता का व्यवहार किया जा रहा है ?	''नहीं''
02	क्या अनावेदिका के द्वारा बिना किसी युक्ति युक्त कारण के अनावेदिका का परित्याग किया गया है ?	''नहीं''
03	क्या आवेदक अनावेदिका से विवाह विच्छेद करा पाने का अधिकारी है ?	''नहीं''
04	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका 19 अनुसार याचिका निरस्त की गई

//साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष//

06. प्रकरण में आवेदक पक्ष की ओर से अपनी याचिका के समर्थन में स्वयं आवेदक शिव सिंह आ0सा0—1 एवं साक्षी महाराज सिंह आ0सा0—2 को परीक्षित कराया गया, जबिक अनावेदिका पक्ष की ओर से बचाव में स्वयं अनावेदिका श्रीमती अनीता अना0सा0—1 एवं साक्षी श्रीमती विनीता अना0सा0—2 को परीक्षित कराया गया है।

वाद प्रश्न क0 1 लगायत 3

- **07.** अभिलेखगत साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये विवेचन में तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिये उक्त सभी परस्पर संबंधित वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 08. जहाँ तक उक्त वादप्रश्नों का संबंध है, अभिलेखगत साक्ष्य सिहत प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि आवेदक शिव सिंह आ0सा0—1 का अपने अभिवचनों में एवं मुख्य परीक्षण साक्ष्य शपथ पत्र में कहना है कि आवेदक शादी के पश्चात से गोहद में रहकर अनावेदिका की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति

करता रहा, लेकिन अनावेदिका एवं उसके भाईयों द्वारा आवेदक की गुण्डों द्वारा मारपीट की जाती रही है और अनावेदिका द्वारा आवेदक पर झूंठे अपराध पंजीबद्ध करा दिये गये हैं। अनावेदिका दिनांक 16.01.2014 से आवेदक से पृथक रहकर अपना जीवन यापन कर रही है। अनावेदिका झगड़ालू व कूर किस्म की महिला है और अनावेदक व उसके माता—पिता के साथ झगड़ा फसाद करती रहती है। अनावेदिका का अपनी छोटी बहन के पित भीम सिंह के साथ अवैध संबंध हैं, इसिलये जान बूझकर अनावेदिका, आवेदक को अपने साथ रखने से इंकार कर रही है व दाम्पत्य सुखों से वंचित किये हुये हैं। आवेदक दिनांक 29.10.15 को अनावेदिका को लेने गया तो उसने कूरता का व्यवहार कर आने से इंकार कर दिया। आवेदक पक्ष के साक्षी महाराज सिंह आ0सा0—2, जो कि आवेदक का सगा बहनोई है, ने भी अपने मुख्य परीक्षण साक्ष्य शपथ पत्र में आवेदक शिव सिंह आ0सा0—1 के उक्त कथनों का सारतः समर्थन किया है।

- 09. उपरोक्त के विपरीत अनावेदिका श्रीमती अनीता अना०सा0—1 का अपने अभिवचनों में एवं मुख्य परीक्षण साक्ष्य शपथ पत्र में कहना है कि वह सीधी सादी महिला है और उसने कभी भी आवेदक एवं उसके परिवारजन से अभद्र व्यवहार नहीं किया है और न ही अनावेदिका व उसके भाईयों ने गुंडों द्वारा आवेदक की कभी कोई मारपीट कराई है एवं उसने आवेदक से पृथक कभी कोई जीवन यापन नहीं किया है, बल्कि आवेदक ने ही प्रथम विवाह के बच्चों से अधिक स्नेह होने के कारण वर्ष 2012 में अपना अटेचमेंट कराते हुये अपना स्थानांतरण आलमपुर के लिये करा लिया है, जबिक अनावेदिका गोहद में ही निवास कर रही है और वह सदैव आवेदक के साथ रहने को तत्पर है, लेकिन आवेदक उसे साथ रखने को तत्पर नहीं है और आवेदक, अनावेदिका को कभी लेने नहीं आया है तथा अनावेदिका के छोटी बहन के पति भीम सिंह से किसी भी प्रकार के कोई अवैध संबंध नहीं है। अनावेदिका पक्ष के साक्षी श्रीमती विनीता अना०सा0—2, जो कि अनावेदिका की सगी बहन है, ने भी अपने मुख्य परीक्षण साक्ष्य शपथ पत्र में अनावेदिका श्रीमती अनीता अनीता अना०सा0—1 के उक्त कथनों का भली भांति समर्थन किया है।
- 10. प्रतिपरीक्षण के दौरान जहां एक ओर अनावेदिका श्रीमती अनीता अना०सा0—1 एवं साक्षी श्रीमती विनीता अना०सा0—2 अपने मुख्य परीक्षण में प्रकट उक्त कथनों पर, जो कि अभिवचन के अनुरूप है, भली भांति स्थिर रहे हैं और उनके कथनों में ऐसी कोई भी

महत्वपूर्ण बात अभिलेख पर नहीं आई है, जिसके आधार पर मामले में अनावेदिका पक्ष द्वारा ली गई प्रतिरक्षा को असत्य अथवा संदिग्ध होना माना जा सके, वहीं दूसरी ओर आवेदक शिव सिंह आ0सा0—1 एवं साक्षी महाराज सिंह आ0सा0—2 प्रतिपरीक्षण के दौरान अपने मुख्य परीक्षण में प्रकट उक्त कथनों पर कदापि स्थिर नहीं रहे हैं, क्योंकि आवेदक साक्षी महाराज सिंह आ0सा0—1 का प्रतिपरीक्षण के दौरान पैरा कमांक 3 में अपने मुख्य परीक्षण एवं आवेदक पक्ष के मामले के विपरीत कहना है कि उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि उसके साले आवेदक शिव सिंह का अनावेदिका अनीता से कब—कब विवाद हुआ है और कैसे—कैसे विवाद हुआ है, बिक्क उसका कहना है कि उसके सामने कभी कोई विवाद नहीं हुआ है, क्योंकि वह साल—छः महीने में कभी—कभार ही जाता है एवं उसे नहीं मालूम कि शिव सिंह और अनीता के परिवार में कैसा रहन सहन है तथा उसके साले आवेदक शिव सिंह की कभी किन्हीं गुण्डों द्वारा मारपीट किये जाने के संबंध में भी उसे कोई जानकारी नहीं है।

- 11. इसी प्रकार स्वयं आवेदक शिव सिंह आ०सा०—1 का प्रतिपरीक्षण के दौरान पैरा कमांक 6 में अपने मुख्य परीक्षण सिंहत अपने मामले के विपरीत कहना है कि अनावेदिका अनीता के साथ शादी होने के बाद से जब तक वे दोनों गोहद में रहे, तब तक प्रेम पूर्वक पित—पत्नी के रूप में दाम्पय जीवन चलता रहा है एवं सितम्बर 2011 में आलमपुर के लिये स्थानांतरण हो जाने के पश्चात् उसका अनावेदिका के पास आना जाना बना रहा है एवं पूछे जाने पर उसका कहना है कि जब से गोहद से स्थानांतरण हुआ तब से उसने अनावेदिका अनीता को कोई भरण पोषण राशि अदा नहीं की है और स्वतः स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि अनावेदिका अनीता उसके साथ ही रह रही है। प्रतिपरीक्षण के पैरा कमांक 7 में भी आवेदक शिव सिंह आठसा०—1 ने अपने दावे के विपरीत यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वर्तमान में अनावेदिका अनीता उसके घर पर ही रह रही है और वह उसके घर पर ही रहकर भोजन बनाती है और वह खाता है तथा पित पत्नी के रूप में एक ही घर में वे दोनों साथ—साथ रह रहे हैं।
- 12. आवेदक शिव सिंह आ०सा०—1 ने अपने अभिवचनों व मुख्य परीक्षण में अनावेदिका व उसके भाईयों द्वारा गुण्डों से उसको मारपीट की जाती रही होना बताया है, लेकिन प्रतिपरीक्षण के दौरान पैरा क्रमांक 6 में उक्त साक्षी ने अनावेदिका अनीता द्वारा उसकी गुण्डों से मारपीट किया जाना बताते हुये उक्त संबंध में उसके पिता व भाई से शिकायत किया जाना

बताया है। इस प्रकार मारपीट किये जाने के बिंदु पर स्वयं आवेदक अपने कथनों में दृढ़तापूर्वक स्थिर नहीं है और उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 6 में ही यह भी कहना है कि उसने कथित मारपीट की जाती रही होने के संबंध में पुलिस को कभी कोई रिपोर्ट नहीं की थी, जबिक यदि वास्तव में उपरोक्तानुसार आवेदक की मारपीट की जाती रही होती तो कोई कारण नहीं कि उसके द्वारा उक्त संबंध में पुलिस की सहायता नहीं ली जाती।

आवेदक शिव सिंह आ०सा०—1 का अपने अभिवचनों तथा मुख्य परीक्षण में कहना है कि अनावेदिका झगड़लू व कूर किस्म की महिला है एवं वह आवेदक एवं उसके माता पिता के साथ झगड़ा-फसाद करती रही है, जिसके कारण परिवार में शांति भंग होती रही है, लेकिन प्रतिपरीक्षण के दौरान पैरा कमांक 6 में उक्त साक्षी का अपने अभिवचनों सहित मुख्य परीक्षण के विपरीत कहना है कि अनावेदिका अनीता के साथ शादी होने के बाद से जब तक वे दोनों गोहद में रहे, तब तक प्रेम पूर्वक पति-पत्नी के रूप में दाम्पय जीवन चलता रहा है तथा प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 7 में उक्त साक्षी का कहना है कि अनावेदिका अनीता द्वारा उसके घर में रहकर अशांति पैदा करना के संबंध में सामाजिक पंचनामा बनवाया गया था, लेकिन उसे इस प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। अतः उक्त आधार पर भी अशांति कारित किये जाने के बिंदु पर आवेदक शिव सिंह आ0सा0–1 के कथनों के विपरीत उपधारणा होती है। साथ ही अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदिका श्रीमती अनीता द्वारा कूरतापूर्ण व्यवहार किये जाने के संबंध में आवेदक पक्ष के अभिवचन तथा कथन स्पष्ट एवं विनिर्दिष्ट स्वरूप के नहीं है, जबकि अनावेदिका पक्ष द्वारा प्रस्तुत सम्मानीय न्यायदृष्टांत महेंद्र बाबू विरुद्ध श्रीमती सुधा एम0पी0डब्लू0एन0 <u>1981</u> पेज 179 में यह महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया जा चुका है कि- Hindu marriage act 1945-S.13 - divorce petition on ground of cruelty - particulars of cruelty are to be pleaded and proved. एवं सम्मानीय न्यायदृष्टांत अनुसूईया बाई विरुद्ध कैलाशदंचद एम0पी0डब्लू0एन0 1981 पेज 183 में भी यह महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया जा चुका है कि Hindu marriage act 1955 - S.13 (1)(i-a) - divorce on the ground of cruelty-granting of-quarrels between members of family-not sufficient to grant divorce. जो कि वर्तमान प्रकरण की परिस्थतियों में अनुकरणीय होकर अनुपालनीय होने से प्रतिपादित महत्वपूर्ण न्याय सिद्धांतों सहित उक्त समस्त के आलोक मामले में

अनावेदिका द्वारा आवेदक पक्ष के साथ कूरता पूर्ण व्यवहार किया जाना साबित नहीं होता है।

आवेदक शिव सिंह आ0सा0—1 ने अपने अभिवचनों तथा मुख्य परीक्षण में 14. अनावेदिका श्रीमती अनीता के अपनी छोटी बहन के पति भीम सिंह निवासी मोजी का पुरा के साथ अवैध संबंध होना एवं उसके साथ निवासरत होना बताया है, जबकि प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि अनावेदिका अनीता उसके अर्थात् आवेदक शिव सिंह के साथ ही रह रही है तथा प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 7 में उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उसने कथित अवैध संबंध बावत् पुलिस को रिपोर्ट की थी, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट अभिलेख पर आवेदक पक्ष की ओर से पेश नहीं की गई है और न ही उक्त संबंध में कोई योग्य कारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और वैसे भी अभिलेख से यह स्पष्ट है कि जारता के बिंदु पर आवेदक पक्ष के अभिवचन तथा कथन स्पष्ट एवं विनिर्दिष्ट स्वरूप के भी नहीं है, जबकि अनावेदिका पक्ष द्वारा प्रस्तुत सम्मानीय न्यायदृष्टांत <u>महेंद्र बाबू विरुद्ध श्रीमती सुधा</u> एम0पी0डब्लू0एन0 1981 पेज 179 में यह महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया जा चुका है कि– Hindu marriage act 1945-S.13 - divorce petition on ground of adultery - particulars of adultery are to be pleaded and proved. एव सम्मानीय न्यायदृष्टांत अमरदास विरुद्ध श्रीमती उषा पण्डित एम0पी0डब्लू0एन0 1981 पेज 538 में यह महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया जा चुका है कि-"Hindu marriage act 1955 - S.13 - false charge of adultery-entitles wife to get the marrige dissolved - such charge amounts to legal cruelty. जो कि वर्तमान प्रकरण की परिस्थतियों में अनुकरणीय होकर अनुपालनीय होने से प्रतिपादित महत्वपूर्ण न्याय सिद्धांतों सहित उक्त समस्त के आलोक मामले में अनावेदिका द्वारा जारता किया जाना साबित नहीं होता है।

15. उपरोक्त के अलावा मामले में यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि स्वयं आवेदक शिव सिंह आ0सा0—1 ने अपने मुख्य परीक्षण सिंहत दावे के विपरीत प्रतिपरीक्षण के पैरा कमांक 6 में प्रकट किया है कि अनावेदिका श्रीमती अनीता वर्तमान में उसके साथ ही रह रही है और प्रतिपरीक्षण के पैरा कमांक 7 में भी उक्त साक्षी ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वर्तमान में अनावेदिका अनीता उसके घर पर ही रह रही है और यह सही है कि अनीता उसके घर पर रहकर ही भोजन बनाती है और वह खाता है एवं पित—पत्नी के रूप में एक ही घर में वे

दोनों साथ—साथ रह रहे हैं। अनावेदिका श्रीमती अनीता अना0सा0—1 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 6 में प्रकट किया है कि वह अनावेदक के पास जाती है और बतौर पत्नी उसके साथ एक ही कमरे में रहती है और उसी मकान के अलग कमरे में आवेदक के माता—पिता रहते हैं।

- 16. अनावेदिका पक्ष की ओर से प्रस्तुत सम्मानीय न्यायदृष्टांत दासतने बनाम दासतने ए०आई०आर० 1975 एस०सी० 1534 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया जा चुका है कि-"Even though condonation is not pleaded as defence by the provisions of S. 23 (1) (b) to find whether the crulty was condoned by the appellant. That section casts an obigation on the court to consider the question of condonation, an obligation which has to be discharged even in underfended cases. The relief prayed for can be decreed only if the court is satisfied but not otherwise, that the petitioner has not in any manner condoned the cruelty. It is of course necessary that there should be evidence of the record of the case to show that the appellant had condoned the cruelty."
- 17. इसी प्रकार अनावेदिका पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य सम्मानीय न्यायदृष्टांत देवीदास विरुद्ध ग्यानवती एलाइस शील रानी ए०आई०आर० 1993 एम०पी० 14 में माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि Hindu marriage act section 13,23-divorce-cruelty alleged by husband-condonation of-spouses living together afterwards for 7-8 months-Restoration of normal conjugal relations can be assumed-Husband can be said to have condoned alleged cruelty-Not entitled for decree of divorece.
- 18. अतः जिरह में प्रकट उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों सहित उपरोक्तानुसार प्रतिपादित महत्वपूर्ण सिद्धांतों एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 23 में उपबंधित विधिक प्रावधानों के प्रकाश में यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि आवेदक शिव सिंह द्वारा कथित कूरता, यदि कोई हो, के संबंध में अनावेदिका श्रीमती अनीता को क्षमा कर दिया गया है और वे पूर्व की तरह पित पत्नी के रूप में सहचर्य धर्म का पालन करते हुये दाम्पत्य जीवन का सुखपूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। ऐसी स्थित में आवेदक कथित कूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पाने का कतई पात्र नहीं रह जाता है।

19. परिणामतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर मामले में यह साबित नहीं होता है कि आवेदक के साथ अनावेदिका के द्वारा कूरता का व्यवहार किया जा रहा है एवं अनावेदिका के द्वारा बिना किसी युक्ति युक्त कारण के अनावेदिका का परित्याग किया गया है तथा आवेदक अनावेदक से विवाह विच्छेद करा पाने का अधिकारी है। तद्नुसार वादप्रश्न कमांक 1 लगायत 3 प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं।

वादप्रश्न कमांक:-4

20. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन एवं वादप्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 के निराकरण अनुसार आवेदक, विश्वासप्रद साक्ष्य से विवाह विच्छेद संबंधी अपनी याचिका को प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। परिणामतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका निरस्त की जाती है। आवेदक अपने साथ—साथ अनावेदिका का वाद व्यय भी वहन करेगा। अभिभाषक शुल्क प्रमाण पत्र अनुसार 500/— रूपये की सीमा तक अथवा तालिका अनुसार, जो भी कम हो, जयपत्र में अंकित किया जाये।

तद्नुसार जयपत्र निर्मित किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड